न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 186/2019 वाद

महिपाल सिंह पिता अमर सिंह राजपूत, आयु 35 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. अमर सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत, आयु 63 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. महीवर्धन सिंह पिता अमर सिंह राजपूत, आयु 26 साल, निवासी बिनोता।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.11.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा कानपुरा की खाता संख्या 2 की आराजी नं. 25, 26, 27, 28, 29,31, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 224, 225, 269 कुल किता 16 कुल रकबा 9.7600 हेक्टैयर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है–

कैलाश सिंह राजपूत
↓
अमर सिंह राजपूत
↓
महिपाल सिंह — महीवर्धन सिंह

कैलाश सिंह मूल पुरूष थे जिनके अमर सिंह हुए व अमर सिंह के दो पुत्र महिपाल सिंह एवं महीवर्धन सिंह हुए। विवादित भूमि कैलाश सिंह जी के जमाने से चली आ रही है। इस भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म होने से बाय बर्थ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक अधिकार निहित हुआ तथा उसी

अधिकारी

Scanned by CamScanner

अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादी ने इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को अपना नाम खाते में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टालम टोल करने लगे इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा वास्ते घोषणा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 2 अनुसार विवादित भूमि अमर सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 अमर सिंह के पुत्र होकर जाईन्दा संतान है। पैतृक सम्पत्ति में पिता के हिस्से आई भूमि में वादी अपना 1/3 हक हिस्सा चाहता है। प्रतिवादीगण ने भी स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कानपुरा की खाता संख्या 2 की आराजी नं. 25, 26, 27, 28, 29,31, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 224, 225, 269 कुल किता 16 कुल रकबा 9.7600 हेक्टैयर भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

पं 25/11/19

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 186/2019 वाद

महिपाल सिंह पिता अमर सिंह राजपूत, आयु 35 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. अमर सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत, आयु 63 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. महीवर्धन सिंह पिता अमर सिंह राजपूत, आयु 26 साल, निवासी बिनोता।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कानपुरा की खाता संख्या 2 की आराजी नं. 25, 26, 27, 28, 29,31, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 224, 225, 269 कुल किता 16 कुल रकबा 9.7600 हेक्टैयर भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

आज दिनांक 25.11.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

25/11/19

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:28:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: